रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०)-78 REGISTERED No. D-(D)-78

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 10, 1978 (ज्येष्ठ 20, 1900)

No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 10, 1978 (JYAISTHA 20, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	565
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	757
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	553
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (I)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . .	1245
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (II)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को (छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	1473
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	131
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	3195
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	449
भाग III—खण्ड 3— मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1209
भाग —गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस .	97

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	565
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	757
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders, and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	553
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories ..	1245
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other an the Administrations of Union Territories) ..	1473
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	131
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	3195
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	449
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1209
PART IV—Advertisements and Notices by Private individuals and Private Bodies	97

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई, 1978

संकल्प

सं० एफ० 8(4)/78-एन० एस०—भारत सरकार ने बचतों की रकमें, जुटाने के लिये अल्प बचत योजनाओं तथा वाणिज्य बैंकों की योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिये तथा अल्प बचत योजनाओं से संबंधित यदि कोई परिवर्तन करने हों, तो उसका सुझाव देने के लिये, निम्नलिखित व्यक्तियों के एक विशेषज्ञ दल का गठन करने का निश्चय किया है :—

1 प्रो० सी० रंगाराजन, —अध्यक्ष
इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट,
अहमदाबाद ।

2 श्री आर० वी० चारी, —सदस्य
सचिव (लेखा),
वित्त विभाग,
महाराष्ट्र सरकार

3 डा० ए० बागची, —सदस्य
निदेशक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
नई दिल्ली

4 श्री एन० डी० जैन, —सदस्य
उप मुख्य अधिकारी,
बैंकिंग कार्यकलाप एवं विकास विभाग,
भारतीय रिजर्व बैंक,
नई दिल्ली ।

5 श्री टी० ई० रमण, —सदस्य
निदेशक (एस० बी०),
डाक-तार निदेशालय,
नई दिल्ली ।

6 संयुक्त राष्ट्रीय बचत आयुक्त —सदस्य सचिव

2. विशेषज्ञ दल के लिये विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे :—

(i) प्रतिस्थापन कार्यकलापों से बचने के उद्देश्य से इस बात की जांच करना कि क्या विशिष्ट मानदण्ड के आधार पर बचतों के रूप में रकमें जुटाने के मामले में वाणिज्यिक बैंकों तथा अल्प बचतों के कार्यसंचालन से संबंधित क्षेत्रों की सीमा निर्धारित किए जाने की कोई गुंजाइश है;

(ii) वाणिज्यिक बैंकों की बचत योजनाओं तथा अल्प बचतों का, विशेषकर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निवेशकर्ताओं को उपलब्ध लाभ। सुविधाओं को देखते हुए, तुलनात्मक अध्ययन करना तथा लागत और अन्य संबंधित बातों को देखते हुए अल्प बचत योजनाओं में यदि आवश्यक हो किन्हीं सुधारों का सुझाव देना। दल इसके साथ-साथ राष्ट्रीय बचत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड को इस संबंध में पहले जो विभिन्न सुझाव दिये गये थे उन पर भी विचार करेगा।

(iii) अतिरिक्त बचतों की रकमों को अधिक प्रभावी ढंग से जुटाने के उद्देश्य से सरकार की अल्प बचत योजनाओं में किये जाने वाले परिवर्तनों का सुझाव देना।

3 विशेषज्ञ दल अपने काम करने का तरीका स्वयं निर्धारित करेगा। राष्ट्रीय बचत संगठन विशेषज्ञ दल को अपेक्षित सचिवालय सहायता प्रदान करेगा।

4 विशेषज्ञ दल 31 अगस्त, 1978 तक अपने सुझाव सरकार को दे देगा ।

आदेश

आदेश दिया गया है कि विशेषज्ञ दल के सदस्य को इस संकल्प के बारे में सूचित कर दिया जाये।

यह भी आदेश दिया गया है कि संकल्प को आम सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये।

के० एस० राव, संयुक्त सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 मई 1978

संकल्प

सं० 6/11/78 ई० पी० जैड :—भारत सरकार ने इलैक्ट्रानिक्स निर्यात संबंधी समिति स्थापित करने का विनिश्चय किया है जिसका गठन इस प्रकार होगा :—

1	प्रो० एम० जी० के० मेनन	सचिव, भारत सरकार, इलैक्ट्रानिक्स विभाग, नई दिल्ली अध्यक्ष
2	श्री पी० के० कौल	अपर सचिव, वाणिज्य विभाग सदस्य
3	श्री एम० रामचन्द्रन	अपर सचिव, राजस्व विभाग सदस्य
4	श्री एस० राजगोपाल	प्रबन्ध निदेशक, महाराष्ट्र, राज्य इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम, बम्बई सदस्य
5	श्री आर० एम० नायर	प्रबन्ध निदेशक, इलैक्ट्रानिक्स व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम, नई दिल्ली सदस्य
6	श्री सी० वी० रामचन्द्रन	महाप्रबन्धक, (परियोजना तथा योजना), भारत इलैक्ट्रानिक्स लि०, बंगलौर-सदस्य
7	श्री एस० पंडित	अध्यक्ष, इलैक्ट्रानिक्स खंड, इलैक्ट्रानिक्स निर्यात संवर्धन परिषद नई दिल्ली —सदस्य
8	डॉ० बी० एच० वाडिया,	बेरेहम वाडिया एसोसिएट्स, पूना—सदस्य

9. श्री सुन्दर बचानी	प्रबन्ध निदेशक, वैस्टन, नई दिल्ली—सदस्य
10. श्री अशोक मुखर्जी	प्रबन्ध निदेशक, सोनोडाइन, कलकत्ता—सदस्य
11. श्री एस० एम० इब्राहीम,	प्रबन्ध निदेशक, मेकोट्रोनिक्स, मद्रास—सदस्य
12. डा० एन० गोपगिरी,	निदेशक (पी० ए० जी०) इलैक्ट्रानिक्स आयोग, नई दिल्ली—सदस्य
13. श्री वी० पी० लूथरा	अध्यक्ष, एक्सपोर्ट पैनल आफ एलसीना—सदस्य
14. श्री टी० आर० रमन,	निदेशक, इलैक्ट्रानिक्स विभाग, नई दिल्ली—सदस्य सचिव।

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नोक्त होंगे :—

(1) क्वालिटी/मात्रा की दृष्टि से निर्यात योग्य इलैक्ट्रानिक्स उत्पादों की वर्तमान क्षमता के बारे में विचार करना, प्रौद्योगिकी, में जो अन्तर हैं, उन्हें अभिज्ञात करना तथा उन्हें समाप्त करने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना ;

(2) वर्तमान क्षमता बढ़ाने, अतिरिक्त क्षमता बनाने जिसमें नये निर्यात योग्य उत्पादों की क्षमता भी शामिल होगी, तथा जहां कहीं आवश्यकता हो, प्रौद्योगिकी के आयात के लिये और निर्यात वित्त संबंधी विशिष्ट स्कीमों के लिये उपायों का सुझाव देना ;

(3) कार्यविधि संबंधी मजबूरियों की जांच करना तथा उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना ;

(4) इलैक्ट्रानिक्स उत्पादों के निर्यात करने में तथा विदेशों में विपणन क्षमताओं के विकास के लिये निर्यात सदनों की भूमिका की सिफारिश करना ;

(5) निर्यात अभिमुख उत्पादन के लिये सामग्री, संघटकों, मशीनरी तथा जानकारी की शीघ्र सप्लाई के लिये उपायों की सिफारिश करना ;

(6) इलैक्ट्रानिक्स के निर्यात में सफलता के लिये राजकोषीय प्रोत्साहनों का सुझाव देना जिनमें पानी के जहाजों तथा हवाई जहाजों द्वारा ढुलाई की विशेष दरें, आई० ए० टी० ए० रियायतें, अधिमानों की सामन्यीकृत प्रणाली तथा एम० एफ० एन० कोटा आदि शामिल हैं।

(7) ऊपर 1 से 6 मदों पर बराबर कार्यवाही करते रहने के लिये सूचना, प्रतिवेदन तथा समीक्षा प्रणाली विकसित करना ;

(8) कोई अन्य सिफारिश जिससे इलैक्ट्रानिक्स के निर्यात में काफी वृद्धि सुनिश्चित हो सके तथा जिसमें उत्पादों तथा स्थानों के विविधीकरण पर विशेष बल दिया गया हो।

3. समिति इस संकल्प के जारी होने की तारीख से तीन महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प आम जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये तथा उसकी एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को भेजी जाये।

प्रताप कौल, अवर सचिव

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 1978

आदेश

विषय : कच्छ अपतटीय (ब्लाक II) के 2476.379 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं० 12012/2/76-प्रोड० :—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून (जिसको इसके बाद आयोग कहा जायेगा) कच्छ अपतटीय क्षेत्र (ब्लाक II) में 2476.379 वर्ग किलोमीटर तक पेट्रोलियम की संभावनाएं खोजने हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 1-10-1975 से दो वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृति देती है। इसके विवरण इसके संलग्न अनुसूची 'क' में दिये गये हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के सम्बन्ध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाए गये, तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) रायल्टी निम्नलिखित दरों पर वसूल की जायेगी।

(1) समस्त अशोधित तेल तथा कैसिंग हैड कन्डैन्सेट पर रु० 42/- प्रति मीटरी टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(2) प्राकृतिक गैस के सम्बन्ध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी।

(3) रायल्टी की अदायगी, पेट्रोलियम मंत्रालय के, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की जायेगी।

(घ) आयोग : लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, कैसिंग हैट कन्डैन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह ववरण संलग्न अनुसूची 'ख' के अनुरूप होगा

(ङ) पेट्रोलियम और गैस नियम 1959 की आवश्यकतानुसार आयोग 19816 रु० की धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में जमा करेगी।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश, जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो निम्नलिखित दरों पर की जाएगी :—

(1) लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिये 4 रुपये
(2) लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिये 20 रुपये।
(3) लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिये 100 रुपये
(4) लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिये 200 रुपये
(5) लाइसेंस के नवीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिये 300 रुपये।

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग की अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़कर देने की स्वतंत्रता सरकार की दो माह के नोटिस के बाद होगी।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाए गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप में देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार के समस्त परिचालनों व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिये ऐसे उपकरण तथा सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम 1959 के उपबंध लागू होंगे।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऐसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।

अनुसूची –'क'

इस पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के अन्तर्गत कच्छ अपतटीय क्षेत्र (ब्लाक-II) आता है और जो मानचित्र में किनारे के प्वाइंटों अर्थात् ई० ए०, ई० बी०, ई० सी०, ई० डी० को मिलाते हुए चिह्नित किया गया है तथा इसका क्षेत्रफल 2476.379 वर्ग किलो मीटर है।

जहां पर यह क्षेत्र स्थित है उसके प्वाइंट जिन अक्षांश और देशान्तरों पर पड़ते हैं उनके बीच की दूरी निम्नलिखित है :—

प्वाइंट	अक्षांश	देशान्तर
ई० ए०	21°55′-21″ एन०	67°53′-94″ ई०
ई० बी०	22°25′-03″ एन०	67°21′-00″ ई०
ई० सी०	22°41′-50″ एन०	67°29′-12″ ई०
ई० डी०	22°12′-07″ एन०	68°01′-18″ ई०

अनुसूची-'ख'

अपेक्षित तेल केसिंग हैड कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण।

कच्छ (अपतटीय) क्षेत्र (ब्लाक-II) के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस।

क्षेत्रफल 2476-379 वर्ग किलो मीटर

माह तथा वर्ष

क–अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लिटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लिटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये लिटरों की संख्या	कालम 2 और 3 घटाकर प्राप्त किलो लिटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख–केसिंग हैड कंडेसेन्ट

प्राप्त किये गये कुल किलो लिटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लिटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये किलो लिटरों की संख्या	कालम 2 और 3 घटाकर प्राप्त किलो लिटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग–प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री ——————————सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि कि इस विवरण में दी गयी सूचना पूर्णरूपेण सत्य और सही है उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तः करण से सत्यनिष्ठ से यह घोषणा करता हूं :

हस्ताक्षर ——————————

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम में

दिनांक 17 मई 1978

आवेश

विषय : कच्छ अपतटीय (ब्लाक I) के 2505.933 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं० 12012/1/76 प्रोड० :—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून, (जिसको इसके बाद आयोग कहा जायेगा) कच्छ अपतटीय क्षेत्र (ब्लाक I) में 2505.933 वर्ग किलोमीटर तक पेट्रोलियम की संभावनाएं खोजने हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 1-10-1978 से दो वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृति देती है। इसके विवरण इसके संलग्न अनुसूची 'क' में दिये गये हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के सम्बन्ध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाए गये, तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) रायल्टी निम्नलिखित दरों पर वसूल की जायेगी।

(1) समस्त अशोधित तेल तथा कैसिंग हैड कन्डैन्सेट पर रु० 42/- प्रति मीटरी टन या ऐसी दर जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(2) प्राकृतिक गैस के सम्बन्ध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी।

(3) रायल्टी को अदायगी पेट्रोलियम मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को जायेगी।

(घ) आयोग : लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कन्डेन्सेंट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची 'ख' के अनुरूप होगा।

(ङ) पेट्रोलियम और गैस नियम 1959 की आवश्यतानुसार आयोग 20.048 रु० की धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में जमा करेगी।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश, जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी :—

(i) लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिये 4 रुपये
(ii) लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिये 20 रुपये
(iii) लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिये 100 रुपये
(iv) लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिये 200 रुपये
(v) लाइसेंस के नवीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिये 300 रुपये।

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग की अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़कर देने की स्वतंत्रता सरकार की दो माह के नोटिस के बाद होगी।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाए गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप में देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार के समस्त परिचालनों, व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा ।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिये ऐसे उपकरण तथा सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा ।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियन्त्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम 1959 के उपबन्ध लागू होंगे ।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऐसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिये अवहार्य होगा ।

अनुसूची—क

इस पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के अन्तर्गत कच्छ अपतटीय क्षेत्र (ब्लाक-I) आता है और जो मानचित्र में किनारे के प्वाइंटों अर्थात ई० ई०, ई० एफ०, ई० जी०, ई० एच० को मिलाते हुए चित्रित किया गया है तथा इसका क्षेत्रफल 2505.933 वर्ग किलोमीटर है ।

जहां पर यह क्षेत्र स्थित है उनके प्वाइंट जिन अक्षांश और देशान्तरों पर पड़ते है निम्नलिखित हैं :—

	अक्षांश			देशान्तर		
	डिग्री	मिनट	से०	डिग्री	मिनट	से०
प्वाइंट ई० ई० स्थित है	22	58	33 एन०	67	35	45 ई०
प्वाइंट ई० एफ० स्थित है	23	30	00 एन०	68	01	50 ई०
प्वाइंट ई० जी० स्थित है ।	23	20	48 एन०	68	15	36 ई०
प्वाइंट ई० एच० स्थित है ।	22	45	57 एन०	67	54	30 ई०

अनुसूची—ख

संशोधित तेल केलिंग हैड कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक विवरण ।

कच्छ (अपतटीय) क्षेत्र (ब्लाक-I) के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस ।

क्षेत्रफल : 2505.933 वर्ग किलो मीटर

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लिटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लिटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये लिटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो लिटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	4

ख-केसिंग हैड कंडेसेन्ट

प्राप्त किये गये कुल किलो लिटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लिटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये किलो लिटरों की संख्या	कालम 2 और 3 घटाकर प्राप्त किलो लिटरों की संख्या	टिप्पणी

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	3	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री ——————————सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गयी सूचना पूर्णरूपेण सत्य और सही है उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठ से यह घोषणा करता हूं ।

हस्ताक्षर ——————

एस० एम० आई० नदीम, अवर सचिव

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम में

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 मई 1978

संकल्प

सं० एफ० 15-43/77 डैस्क III (भा०)—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० 15-46/73 एल० 1 दिनांक 3 जनवरी, 1974 के पैरा 4 को निम्न प्रकार से, आंशिक रूप में संशोधित किया जाता है :

"शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में भाषा प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव बोर्ड के पदेन सदस्य-सचिव होंगे ।"

के स्थान पर कृपया पढ़ें

"शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में भाषा प्रभाग के प्रभारी प्रभाग अध्यक्ष बोर्ड के पदेन सदस्य-सचिव होंगे ।

केवल कृष्ण सेठी, निदेशक (भाषाएं)

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 1978

संकल्प

सं० ई० 11011/10/75-हिन्दी—भारत सरकार ने पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के लिए एक "पर्यटन और नागर विमानन हिन्दी सलाहकार समिति" का गठन करने का निर्णय किया है । समिति का गठन एवं कार्य निम्न प्रकार होंगे :—

I. गठन

1. पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	अध्यक्ष
2. श्री ईश्वर चौधरी, संसद् सदस्य (लोक सभा)	सदस्य

3. श्री हरिकेशबहादुर, संसद् सदस्य (लोक सभा) सदस्य
4. श्री महेन्द्र मोहन मिश्र, संसद् सदस्य (राज्य सभा) सदस्य
5. श्री पतित पावन प्रधान, संसद् सदस्य (राज्य सभा) सदस्य
6. सचिव, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय सदस्य
7. सचिव, राजभाषा विभाग एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार सदस्य
8. पर्यटन के महानिदेशक सदस्य
9. नागर विमानन के महानिदेशक सदस्य
10. वेधशालाओं के महानिदेशक सदस्य
11. रेल सुरक्षा आयुक्त सदस्य
12. प्रबन्ध निदेशक, एयर इंडिया सदस्य
13. प्रबन्ध निदेशक, इंडियन एयरलाइन्स सदस्य
14. अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक, भारत पर्यटन विकास निगम सदस्य
15. अध्यक्ष, भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण सदस्य
16. प्रधान, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली। सदस्य
17. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली। सदस्य
18. डा० विश्वनाथ अय्यर, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, कोचीन विश्वविद्यालय, कोचीन-282022 सदस्य
19. श्री मनोहर श्याम जोशी, सम्पादक, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, कनाट प्लेस, नई दिल्ली। सदस्य
20. श्री शम्भुनाथ सक्सेना, सम्पादक, दैनिक निर्देशन, ग्वालियर। सदस्य
21. श्री अमृत राय, धूप छाँह, अशोक नगर, इलाहाबाद, सदस्य
22. श्री रघुवीर सहाय, सम्पादक, दिनमान (हिन्दी), 10 दरियागंज, नई दिल्ली-110002। सदस्य
23. श्री कुंवर नारायण, विष्णु कुटी, महानगर, लखनऊ। सदस्य
24. श्री धर्मवीर भारती, सम्पादक, धर्मयुग, टाइम्स आफ इंडिया, बी० टी०, बम्बई। सदस्य
25. श्री आर० एन० श्रीवास्तव, अध्यक्ष, भाषा विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली। सदस्य
26. संयुक्त सचिव (प्रशासन), पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय। सदस्य-सचिव

II. समिति के कार्य :

समिति का कार्य पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय, इसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों एवं इसके प्रशासनाधीन उद्यमों में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देना होगा।

समिति को आवश्यकतानुसार अपनी सहायतार्थ उप-समितियां नियुक्त करने एवं यथावश्यक संख्या में अतिरिक्त सदस्य भी सहयोजित करने का अधिकार होगा।

III. कार्यकाल :

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः समिति के गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा, बशर्ते कि :—

(क) जो संसद् सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद् सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रह सकेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही समिति के सदस्य रहेंगे।

(ग) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण स्थान खाली होता है, तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा।

IV. भत्ते :

गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की तथा इसकी उप-समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर यात्रा तथा दैनिक भत्ते अदा किये जायेंगे।

V. मुख्यालय :

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में रहेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय; योजना आयोग; राष्ट्रपति सचिवालय; नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक; केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार; लोक सभा सचिवालय; राज्य सभा सचिवालय; तथा भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन-साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

चन्द्रमणि चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 27th May 1978

RESOLUTION

No.8/4/78-NS.—The Government of India has decided to constitute an Exper Group consisting of the following persons to make a comparative study of the Small Savings Schemes and the schemes of the commercial banks for mobilisation of savings and to suggest changes, if any, that may be called for in regard to the Small Savings Schemes :—

CHAIRMAN

1. Prof. C. Rangarajan,
Indian Institute of Management,
Ahmedabad.

MEMBERS

2. Shri R. B. Chari,
Secretary (Accounts),
Finance Department,
Government of Maharashtra.

3. Dr. A. Bagchi,
Director,
Ministry of Finance,
Economic Affairs Department,
New Delhi.

4. Shri N. D. Jain,
Deputy Chief Officer,
Department of Banking Operations and Development, Reserve Bank of India,
New Delhi.

5. Shri T. E. Raman,
Director (SB),
P&T Directorate, New Delhi.

MEMBER SECRETARY

6. The Joint National Savings Commissioner.

2. The terms of reference to the Expert Group will be as follows :—

(i) To examine whether, with a view to avoiding overlapping activities, there is scope for demarcating the respective areas of operation of commercial banks and small savings in the matter of savings mobilisation, based on specified criteria.

(ii) To make a comparative study of the savings schemes of the commercial banks and of the small savings and, in particular, the benefits/facilities available to the investors under the various schemes and suggest improvements, if any, considered necessary in the Small Savings Schemes, keeping in view costs and other relevant factors. The Group may *inter alia* examine the various suggestions made to the National Savings Central Advisory Board in this regard in the past.

(iii) To suggest changes called for in the Small Savings Schemes of Government with a view to making them a more effective instrument for mobilising additional savings.

3. The Expert Group will evolve its own procedure for its work. The National Savings Organisation will provide the requisite secretarial assistance to the Expert Group.

4. The Expert Group shall submit recommendations to the Government by the 31st August 1978.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Members of the Expert Group.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. N. ROW, Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 17 May 1978

RESOLUTION

No. 6/11/78-EPZ.—The Government of India have decided to set up a committee on Electronics Exports with the following composition :—

Chairman

1. Prof. M. G. K. Menon—Secretary to the Government of India Department of Electronics, New Delhi.

Members

2. Shri P. K. Kaul—Additional Secretary, Department of Commerce.

3. Shri M. Ramachanderan—Additional Secretary, Deptt. of Revenue.

4. Shri S. Rajgopal—Managing Director, Maharashtra State Electronics Development Corporation, Bombay.

5. R. M. Nayar—Managing Director, Electronics Trade and Technology Development Corporation, New Delhi.

6. Shri C. V. Ramachandran—Dy. General Manager, (Projects & Planning) Bharat Electronics Ltd., Bangalore.

7. Shri S. Pandit, Chairman, Electronics Wing, Electronics Export Promotion Council, New Delhi.

8. Dr. B. H. Wadia, Bereham Wadia Associates, Poona.

9. Shri Sunder Vachani, Managing Director, Weston, New Delhi.

10. Shri Ashok Mukherjee, Managing Director, Sonodyne, Calcutta.

11. Shri S. M. Ebrahim, Managing Director, Machotronics, Madras.

12. Dr. N. Seshagiri, Director (PAG), Electronics Commission, New Delhi.

13. Shri V. P. Luthra, Chairman Export Panel of ELCINA.

Member Secretary

14. Shri T. R. Raman, Director, Department of Electronics, New Delhi.

2. The terms of reference of the committee will be as follows :

(i) Examine the existing production capacity for exportable electronics products in terms of quality/quantities, identify technology gaps that exist and suggest remedial measures to eliminate these.

(ii) Suggest measures to augment the existing capacity, create additional capacity including that for new exportable products and for import of technology, wherever needed, and specific schemes for export finance.

(iii) Examine procedural constraints and suggest remedial measures.

(iv) Recommend the role of export houses in the export of electronics and for development of marketing capabilities abroad.

(v) Recommend measures for expeditious supply of materials, components, machinery and know-how for export-oriented production.

(vi) Suggest fiscal incentives for making breakthrough in electronics exports, including special rates for shipping and transportation by air, IATA concessions and GSP and MFN quotas etc.

(vii) Develop an information reporting and reviewing system for continuously dealing with items 1 to 6 above.

(viii) Any other recommendation to ensure a major export thrust in electronics with particular emphasis on diversification of products and destinations.

3. The committee would submit its report within three months from the date of issue of this Resolution.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be published in the Gazette of India for general information and communicated to all Ministries of Government of India and all State Governments.

P. K. KAUL, Addl. Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF PETROLEUM)

New Delhi, the 17th May 1978

ORDER

Subject : Grant of Petroleum Exploration Licence for Kutch offshore area (Block-I) measuring 2505.933 Sq. Kms.

No. 12012/1/76-L&I./Prod.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehra Dun (hereinafter referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for two years from 1-10-1975 in Kutch offshore are (Block-I) measuring 2505.933 sq. kms, the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below :

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged :

(i) Rs. 42/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing-head condensate.

(ii) In case of Natural Gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

(iii) The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Ministry of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full and proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing-head condensate and natural gas obtained during the proceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 20,048/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules 1959.

(f) The Commission shall pay every year a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each sq. kilometers or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;
(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;
(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;
(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence; and
(v) Rs. 300/- for the first and second years of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub. rule (3) of rule 11 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea-bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject the provisions of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

SCHEDULE—A.

The area covered by this Petroleum Exporation Licence falls in Kutch Offshore area (Block-I) and is delineated on the map by the line joining the corner points EE, EF, EG and EH and measures 2505·933 sq. kms in area.

The latitudes and longitudes on which the points covering the area fall areas follows :—

	Latitude			Longitude		
	Deg.	Min.	Sec.	Deg.	Min.	Sec.
Point EE is at	22	58	33N	67	35	45E
Point EF is at	23	30	00N	68	01	50E
Point EG is at	23	20	48N	68	15	36E
Point EH is at	22	45	57N	67	54	30E

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.
Petroleum Exploration Licence for Kutch offfshore area (Block-I)
Area measuring 2505·933
Month and Year

A Crude Oil

Total No. of Kilolitres obtained	No. of Kilolitres unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Kilolitres used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Kilolitres obtained less columns less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B—Casing head condensate

Total number of Kilolitres obtained	No. of Kilolitres unavoidably lost or returned to lost natural reservoir	No. of Kilolitres used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government	No. of Kilolitres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C—Natural Gas

Total number of cubicmetres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir.	Number of Cubic/ metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government.	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri.....do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and Correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

(Signature)

By order and in the name of the President of India.

ORDER

Subject : Grant of Petroleum Exploration Licence for Kutch offshore area (Block-II) measuring 2476.379 sq. kms.

No. 12012/2/76-L&L/PROD.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehra Dun (hereinafter referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for two years from 1-10-1975 in Kutch offshore area (Block-II) area measuring 2476.379 sq. kms. the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below :—

(a) The Elploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at rates mentioned below shall be charged;

(i) Rs. 42/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing-head condensate.

(ii) In case of Natural Gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

(iii) The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer Ministry of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month furnish to the Central Government, a full and proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing-head condensate and natural gas obtained during the proceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 19816/- as security as required by rule 11 of the P&NG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each sq. kilometers or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence; and

(v) Rs. 300/- for the first and second years of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub. rule (3) of rule 11 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government confidentially a fully report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea-bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject the provisions of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

SCHEDULE—A

The area covered by this Petroleum Exploration Licence falls in Kutch offi-shore area (Block-II) and is delineated on the map by the line joining the corner points EA, EB, EC, ED and measures 2476·379 Sq. Kms. in the area.

The latitudes and longitudes on which the points covering the area fall are as follows :—

Points	Latitude	Longitude
EA	21°—55′—21″ N	67°—53′—04″ E
EB	22°—25′—03″ N	67°—21′—00″ E
EC	22°—41′—50″ N	67°—29′—12″ E
ED	22°—12′—07″ N	68°—01′—18″ E

SCHEDULE —'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value there of,
Petroleum Exploration Licence for Kutch (Off Shore) area (Block-II)
Area 2476·379 Sq. Kms.
Month and Year

A. Crude Oil

Total No. of Kilolitres Obtained.	No. of Kilolitres unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Kilolitres used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Kilolitres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B—Casing head condensate

Total number of Kilolitres obtained	No. of Kilolitres unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Kilolitres used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government.	No. of Kilolitres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C—Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir.	Number of Cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government.	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	4

I, Shri.....do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

.....
(Signature)

By order and in the name of the President of India.

S. M. Y. NADEEM, Under Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE
(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 3rd May 1978

RESOLUTION

No. F.15-43/77-Desk.III.—Paragraph 4 of this Ministry's Resolution No. F.15-46/73-L.I dated 3 January 1974 is partially amended as follows :

For

"The Joint Secretary in the Ministry of Education and Social Welfare in charge of the Languages Division will be the Member-Secretary of the Board ex-officio."

Read

"The Divisional Head in charge of the Languages Division in the Ministry of Education and Social Welfare will be the Member-Secretary of the Board ex-officio.

K. K. SETHI
Director (Languages)

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi-110001, the 18th May 1978

RESOLUTION

No. E-110011/10/75-Hindi.—The Government of India have decided to constitute a 'Paratak Aug Nagar Vimanan Hindi Salahkar Samiti' for the Ministry of Tourism and Civil Aviation. The composition and functions of the Samiti shall be as follows :—

I—*COMPOSITION*

Chairman

1. Minister of Tourism and Civil Aviation.

Members.

2. Shri Ishwar Choudhuri, M.P. (Lok Sabha).
3. Shri Harikesh Bahadur, M.P. (Lok Sabha).
4. Shri Mahendra Mohan Mishra, M.P. (Rajya Sabha).
5. Shri Patitpaban Pradhan, M.P. (Rajya Sabha).
6. Secretary, Ministry of Tourism and Civil Aviation.
7. Secretary, Department of Official Language and Hindi Adviser to the Government of India.
8. Director General of Tourism.
9. Director General of Civil Aviation.
10. Director General of Observatories.
11. Commissioner of Railway Safety.
12. Managing Director, Air-India.
13. Managing Director, Indian Airlines.
14. Chairman-cum-Managing Director, India Tourism Development Corporation.
15. Chairman, International Airports Authority of India.
16. Pradhan, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, New Delhi.
17. Joint Secretary, Department of Official Language, New Delhi.
18. Dr. Vishvanath Ayyar, Professor and Head of Hindi Department, Cochin University, Cochin-282022.
19. Shri Manohar Shyam Joshi, Editor, Saptahik Hindustan, Connaught Place, New Delhi.
20. Shri Shambhu Nath Saksena Editor, Dainik Niranjan, Gwalior.
21. Shri Amrit Rai, Dhoop Chhanh, Ashok Nagar, Allahabad.
22. Shri Raghuvir Sahai, Editor, Dinman (Hindi), (Times of India Prakashan), 10, Daryaganj, New Delhi-110002.
23. Shri Kunwar Narain, Vishnu Kuti, Mahanagar, Lucknow.
24. Shri Dharamvir Bharati, Editor, Dharma Yug, Times of India, V. T. Bombay.
25. Dr. R. N. Srivastava, Head of the Deptt, of Linguistics, Delhi University, Delhi.

Member Secretary

26. Joint Secretary (Administration), Ministry of Tourism and Civil Aviation, New Delhi.

II—*FUNCTIONS* :

Functions of the Samiti will be to advise the Government on matters relating to the progressive use of Hindi for official purposes in the Ministry of Tourism and Civil Aviation, its attached and subordinate offices as well as public sector undertakings under the administrative control of this Ministry.

The Samiti will have power to appoint UP-Samities and Co-opt additional members as may be necessary for assisting it in the discharge of its functions.

III—*TENURE* :

The tenure of the Members of the Samiti shall ordinarily be three years from the date of its constitution provided that :

(a) a member who is a member of Parliament ceases to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a member of Parliament;

(b) Ex-officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold the office by virtue of which they are members of Samiti;

(c) if a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death, etc. of a member, the member appointed on that vacancy shall hold office for the residual of the term of three years.

IV—*ALLOWANCES* :

The non-official members of the Samiti will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti and its Up-Samities at the rates fixed by the Government of India from time to time.

V—*HEADQUARTERS* :

The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi.

ORDER

ORDERED that copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations; Prime Minister's Secretariat; Cabinet Secretariat; Planning Commission; President's Secretariat; Comptroller and Auditor General; Accountant General, Central Revenues; Lok Sabha Secretariat; Rajya Sabha Secretariat; and all the Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

C. M. CHATURVEDI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978